यह निरीक्षण आख्या **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली के अवधि 12/2014 से 03/2016 तक के लेखा–अभिलेखों का लेखापरीक्षा श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दयाशंकर, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.04.2016 से 07.05.2016 तक श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित संप्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

अ. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नवीन शंखधर एवं श्री उदयवीर सिह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.12.2014 से 17.12.2014 तक श्री डी.एन. मिश्रा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 12/2011 से 11/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

1. श्री बलवंत सिह रावत – 23.02.2014 से 12.07.2015
2. श्री सुन्दर लाल – 13.07.2015 से वर्तमान तक

3. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या		
	भाग–2 अ	भाग–2 ब	STAN
59/2007–08	01 से 03	01 से 07	-
130/2008–09	–	01	-
59/ 2011–12	01	01 से 04	-
134/2014–15	01	01 एवं 02	01 एवं 02
	05	**14**	**02**

4. सतत् अनियमिततायें – शून्य

5. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – शून्य

6. बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर–स्थापना	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013–14	80.09	73.52	2033.39	2002.25
2014–15	86.44	61.66	3021.08	2710.30
2015–16 (03/2016)	66.88	65.38	2494.28	2361.95

भाग–II "ब"

प्रस्तर–1 शासन द्वारा अनुसूचित जाति वहुल क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए स्वीकृत कार्यो में से 22.80 लाख की लागत के कार्यो में परिवर्तन किया जाना तथा योजना की ` 149.11 लाख की धनराशि को अनियमित रूप से बैक खाते में अवरूद्व रखा जाना।

निदेशक समाज कल्याण के पत्रांक 5493/एस.स.एस.टी/2008–09 मार्च 2009 के अनुसार राज्य के अधिकाशं भागों में अनुसूचित जाति के परिवार गांवो तथा शहरों के विशिष्ट क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनकी बस्तियां प्रायः मुख्य ग्राम अथवा अधिवासों से पृथक पायी जाती है तथा ऐसे क्षेत्र सामान्य सुविधाओं से वचिंत रह जाते है। अतः अनुसूचित जातियों के सर्वागींण विकास के लिए समस्त सार्वजनिक सेवाओं एवं सुविधाओं का पर्याप्त लाभ मुख्य बसासत की भांति अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में पहुंचायें जाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों/क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की नयी योजना आरम्भ की गई है। इसी जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना संचालित की गयी। योजना के अन्तगर्त वर्ष 2014–15 में 66 कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें से ` 371.14 लाख स्वीकृत किये गये। **दिशानिर्देशों के अनुसार बिन्दु 07 के प्रस्तर 05 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उतना धनराशि आहरित की जायेगी जितनी कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान की जानी है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैक में नही रखी जायेगी।** उत्तराखण्ड शासन (प्रमुख सचिव वित्त) द्वारा जारी शासनादेश संख्या 99/2009 (09/2009) के अनुसार भी इस आशय का स्पष्ट प्रवधान था। सरकार विभागों को कार्यो हेतु बैक में खाता खोलने का कोई प्रवधान नही है। **दिशानिर्देशों के अनुसार बिन्दु 07 के प्रस्तर** 06 में स्पष्ट प्रवधान था कि प्रस्तावित कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि अपरिवर्तनीय होगी अर्थात परियोजना लागत का संशोधित आगणन किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं होगा। कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चमोली **के नमूना** जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा सम्प्रेक्षा अवधि (03/2016) तक दिशार्निदेशों के विपरित ` 149.11 लाख की योजना धनराशि को बैक खातों अवरूद्व रखी गयी है। आगे की जांच में पाया गया था कि योजना के तहत शासन द्वारा स्वीकृत 66 कार्यो के अतरिक्त कार्यालय स्तर पर ` 22.80 लाख के 05 नवीन कार्य स्वीकृत किये गये थे जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0स	ग्राम का नाम	योजना को नाम	योजना की लागत (धनराशि लाखों में)
01	नैल ऐथा	कक्ष एवमं शौचालय निर्माण	8.00
02	तोणजी	कक्ष एवमं मिलन केन्द्र तोंडजी	4.00
03	मसोली	खेल मैदान मसोली	3.00
04	रानो	खेल मैदान रानी	3.80
05	मठ झठेता	मठ मोटर मार्ग से अनु जा बस्ती तक खण्डजा सी0सी मार्ग	4.00
		योग	**22.80**

शासन स्तर पर स्वीकृत 03 कार्य (लागत ` 14.90 लाख) को निरस्त किये गये एवं 04 स्वीकृत योजना पर ` 7.90 लाख की धनराशी की कटौती की गयी है। ऐसे समायोजित कार्या का विवरण निम्न हैः–

(धनराशि ` लाखों में)

क्र0स	वि ख का नाम	कार्य योजना का नाम	योजना की पूर्ण लागत	समायोजित धनराशि	टिप्पणी
01	जोशीमठ	भंग्यूल में सी सी र्माग निर्माण	4.90	4.90	योजना निरस्त
02	जोशीमठ	गुलाबकोटी में सी सी र्माग निर्माण/खण्डज कार्य	4.90	0.90	` 0.90 लाख की धनराशि कम करना
03	जोशीमठ	गुलाबकोटी में सी सी र्माग निर्माण/खण्डज कार्य	6.00	6.00	योजना निरस्त
04	जोशीमठ	चिनाव घाटी तक खण्डजा सी सी निर्माण कार्य	8.00	2.00	` 2.0 लाख की धनराशि कम कराना
05	पोखरी	ग्राम पंचायत गिरसा अनु जा नागद से गांव तक खण्डजा सी सी निर्माण	5.00	1.00	` 1.0 लाख की धनराशि कम कराना
06	पोखरी	जिलासु में सी सी मार्ग निर्माण	6.00	4.00	` 4.0 लाख की धनराशि कम कराना
07	पोखरी	अनु जाति उत्तरों में खण्डजा/सीसी मार्ग निर्माण	4..00	4.00	कार्य निरस्त
				22.80	

यह भी पाया गया था कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकृत कार्य पर कार्यदायी संस्थाओं को प्रथम किस्त के रूप में ` 222.03 लाख कार्यदायी संस्था को भुगतान किए जा चुके थे जिसके सापेक्ष किसी भी संस्था से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त (03/2016) तक नहीं हुआ था। इस प्रकार कार्यालय द्वारा योजना के तहत शासन स्तर से स्वीकृत कार्यो में अनियमित

रूप से परिवर्तन किया गया था जिसके लिए शासन स्तर को पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त नही की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि प्रथम किस्त की धनराशि के सम्बन्ध मे उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त होने की दशा में द्वितीय किस्त की धनराशि ` 149.11 लाख विभागिय खातें में पडी है एवं मा0 विधायक श्री बद्रीनाथ के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्य परिवर्तन किये गये है।

उत्तर स्वीकार्य नही है एक तो शासनदेश एवं दिशानिदेर्शा में भी स्पष्ट प्रवधान है कि के अनुसार बिन्दु **07 के प्रस्तर 05** में स्पष्ट प्रावधान है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उतना धनराशि आहरित की जायेगी जितनी कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान की जानी है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैक में नही रखी जायेगी। खण्ड द्वारा ` 149.11 लाख की धनराशि अवरूद्व रखाी गयी है। **दिशानिर्देशों के अनुसार बिन्दु 07 के प्रस्तर** 06 में स्पष्ट प्रवधान था कि प्रस्तावित कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि अपरिवर्तनीय होगी अर्थात परियोजना लागत का संशोधित आगणन किसी भी दशा में स्वीकृत नही होगा।

अतः योजना के स्वीकृत ` .22.80 लाख के कार्यो में किए गये अनियमित परिवर्तन तथा योजना धनराशि ` 149.11 लाख को अवरूद्ध रखे जाने का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II "ब"

प्रस्तर–2 शादी एंव बीमारी के ईलाज हेतु पात्र 470 लाभार्थियों को समय ` 126.60 लाख की धनराशि वितरण न किया जाना ।

शासन द्वारा संचालित शादी एवं बीमारी के इलाज हेतु शासन के पत्राक सख्यॉ 1919/दिनॉक 25 जुन 2013 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनु जन जाति के निर्धन एवं असहाय परिवारों की पुत्री के विवाह हेतु तथा बिमारी के इलाज हेतु निम्नलिखित शर्तो के तहत अनुदान प्रदान किया जाता हैः–

1. राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों के जिनकी आय सीमा ` 15000.00 वार्षिक अथवा बी.पी.एल परिवार से सम्बन्धित हो परिवारों को अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त ` 50,000 की धनराशि प्रदान की जायेगी।
2. साथ ही सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल परिवार की विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों को भी उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त ` 50,000 की धनराशि प्रदान की जायेगी।
3. बीमारी के ईलाज हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों, जिनकी आय सीमा रूपये ` 15000 वार्षिक अथवा बी.पी.एल परिवार से सम्बन्धित हो, को आर्थिक सहायता के रूप में ` 10000 तक की धनराशि प्रदान की जायेगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चमोली के वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के अनुदान योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाचॅ में पाया गया कि कार्यालय के अधीन निम्नलिखित श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को अनुदान धनराशिया वितरित नही की गई थीः–

शादी के लिए अनुदान				
क्र. स	वर्ष	शादी हेतु पात्र लाभार्थियों की सख्या	लाभान्वितों की संख्या	अवशेष लाभार्थियो की ` 50000 की दर से भुगतान किया जाना है
01	2014–15	271	184	85 (02 आवेदन पत्र पर औपचारिकता पूर्ण न होने के कारण निरस्त)
02	2015–16	247	133	114
बीमारी के लिए अनुदान				
क्र. स	वर्ष	बिमारी हेतु पात्र लाभार्थियों की सख्या	लाभान्वितों की सख्या	अवशेष लाभार्थियो की रू.10000 की दर से भुगतान किया जाना है
02	2015–16	423	152	271

इस प्रकार लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा शादी योजना के लिए चयनित 199 लाभार्थियों को ` 50000 की दर से ` 99.50 लाख एवं बीमारी के ईलाज हेतु चयनित 271 लाभार्थीयों को ` 27.10 लाख (` 10000×271) की धनराशि की देयता शेष है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर लेखापरीक्षित इकाई द्वारा उत्तर दिया गया था कि सभी अवशेष चयनित आवेदनों को योजना लाभ प्रदान किये जाने हेतु शासन/विभाग से धनराशि की मांग की गयी है। धनराशि के प्राप्त होने के उपरान्त अवशेष लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान किया जाना सभ्भवं होगा।

उत्तर स्वीकार्य नही है जिसका लाभार्थियों को समय से भुगतान न किया जाना जहां एक और योजना उद्देश्यों की पूर्ति पर आधात था वही दूसरी और विभागीय उदासीनता/असफलता का द्योतक है क्याकि दोना अनुदान बहुत ही महत्वपूर्ण है निश्चित समय में पात्र लाभार्थि को धनराशि उपलब्ध कराये जाये चाहिए था।

अतः शादी योजना एंव बीमारी के ईलाज हेतु कुल 470 लाभार्थियों को ` 126.60 लाख की धनराशि समय से वितरण न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)